स्पीड पोस्ट

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/106/2022-2023

23 मार्च, 2023

सेवा में,

डॉ. विजय प्रताप सिंह
ग्राम व पोस्ट- अजगरा मशर्की (नैनीज़ोर)
जनपद-आजमगढ़
उत्तर प्रदेश

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 06.03.2023 का पत्र इस सचिवालय 13.03.2023 में प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रूपये का पो.आ.सं. 58 एफ़ 960944 संलग्न कर अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है ।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है इस कारण या सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें। **आप का आवेदन मूल रूप मे आप को लौटाया जा रहा है।**

भवदीय,

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

दह टका दश टाका ६स રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ൧൦ രൂപ பத்து ரூபா दहा रुपये ୧୦ ଟଙ୍କା दस रुपए दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

जारी करने वाले कार्यालय की मुहर तारीख सहित ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO अध्यक्ष, राज्य सभा
संसद भवन, नई दिल्ली को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

भुगतान करने वाले कार्यालय की मुहर तारीख सहित PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डॉ. विजय प्रताप सिंह
ग्रा.+पो.- अजमतगढ़ ...
...जिला- आजमगढ़, U.P.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

1-3-23
पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

60F 115312

RTI No. 106

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष जी
राज्य सभा संसद भवन नई दिल्ली।

विषयः भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में संसद में मान्यता देने एवं केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड समिति के सन् 1988 की मान्यता एवं 22 जनवरी 1992 की रिपोर्ट में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय आग्रह है कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 1984 में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गयी, जिसमें भारत के शिक्षा शास्त्रज्ञों के साथ इग्लैण्ड, फ्रांस, रूस और अमेरिका के शिक्षा शास्त्री को आमंत्रि किया गया था। इस आयोग ने करीवन दो साल तक अनेक राज्यों में जाकर वर्तमान शिक्षा नीति का अभ्यास किया और सरकार को कुछ प्रस्ताव दिए। शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के प्रस्ताव दिये। भारत सरकार ने सन् 1985 में मानव संसाधन विभाग निर्माण किया। जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रकाशित हुई और अगस्त 1986 में ही इसे राष्ट्रीय नीति के नाम से कार्यान्वित करने में आया सन् 1988 ई में इस नीति को संसद में मान्यता देने पर कार्यान्वित हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत नीति में एक समिति आन्ध्र के मुख्यमंत्री श्री एन्. जनार्दन रेड्डी के अध्यक्षता में स्थापना की गयी। इस समिति ने 22 जनपरी 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अतः आप माननीय जी से विनम्र आग्रह है कि सन् 1980 की मान्यता की कापी एवं 22 जनवरी 1992 की रिपोर्ट की कापी देने की संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक–25.02.2023

भवदीय

डॉ0 विजय प्रताप सिंह
प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद
श्री गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालटारी, आजमगढ़।
आवास का पता–
ग्राम व पोस्ट–अजगरा मशर्की (नैनीजोर)
जनपद–आजमगढ़।

24/03/2023

संलग्नक–

1– पोस्टल आर्डर संख्या 60F 115312 मूल रूप में।

SP

सभापति का कार्यालय, राज्य सभा
डायरी सं./दिनांक
Dy. No./Date
370
24/03/23
O/o Chairman, Rajya Sabha